

न्यायालय जिला कलेक्टर, सिरोही (राज.)
बईजलास श्री भगवती प्रसाद, आई.ए.एस.

पंचायत निगरानी सं. 01/2020 से 134/2020

प्रार्थी

1. विकास अधिकारी पंचायत समिति आबूरोड।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. सरपंच ग्राम पंचायत आमथला।
- 2.1 श्रीमती लक्ष्मी पत्नि श्री मोहनलाल जाति- कुम्हार निवासी-आमथला
- 2.2 श्रीमती शान्ति पत्नि श्री खीमाराम जाति- पुरोहित निवासी-आमथला
- 2.3 श्री भूराराम पुत्र श्री अमराराम जाति- रेवारी निवासी-आमथला
- 2.4 श्री अमराराम पुत्र श्री रघुनाथ जाति- रेवारी निवासी-आमथला
- 2.5 श्रीमती कीकीदेवी पत्नि श्री वीसाराम जाति- मेघवाल निवासी-आमथला
- 2.6 श्री भुपेन्द्रसिंह, महेन्द्रसिंह पुत्र श्री शिवनाथसिंह जाति- राव निवासी-कारोली
- 2.7 श्री मदनसिंह पुत्र श्री भीखसिंह जाति- राजपूत निवासी-आमथला
- 2.8 श्री भैरुसिंह पुत्र श्री लुमसिंह जाति- राजपूत निवासी-आमथला
- 2.9 श्री आनन्दसिंह पुत्र श्री मगनसिंह जाति- राव निवासी-कारोली
- 2.10 श्री लाखाराम पुत्र श्री नाथाजी जाति- रेवारी निवासी-आमथला
- 2.11 श्री नाथाराम पुत्र श्री पुनमाजी जाति- रेवारी निवासी-आमथला
- 2.12 श्री मनोहरसिंह पुत्र श्री लक्ष्मणसिंह जाति- राजपूत निवासी-आमथला
- 2.13 श्री सवाराम पुत्र श्री जगमालसिंह जाति-रेवारी निवासी आमथला
- 2.14 श्री कालूराम पुत्र श्री जगमालसिंह जाति रेवारी निवासी आमथला
- 2.15 श्री भलाराम पुत्र श्री जगमालसिंह जाति रेवारी निवासी आमथला
- 2.16 श्री विजयसिंह पुत्र श्री दुर्गसिंह जाति राव निवासी आमथला
- 2.17 श्री पुनाराम पुत्र श्री मगाराम जाति भील निवासी आमथला
- 2.18 श्री भंवरलाल पुत्र श्री नाथाजी जाति भील निवासी आमथला
- 2.19 श्री पाताराम पुत्र श्री टेकाराम जाति- मेघवाल निवासी-आमथला
- 2.20 श्री कालुराम पुत्र श्री भीखाजी जाति- कुम्हार निवासी-आमथला
- 2.21 श्री भुराराम पुत्र श्री रतनाजी जाति- मेघवाल निवासी-आमथला
- 2.22 श्रीमती आशादेवी पत्नि श्री शंकरलाल जाति- प्रजापत निवासी-आमथला
- 2.23 श्री विजयसिंह पुत्र श्री गुमानसिंह जाति- राजपूत निवासी-आमथला
- 2.24 श्री शंकरलाल पुत्र श्री पन्नाजी जाति- रेवारी निवासी-आमथला
- 2.25 श्री लाखाराम पुत्र श्री प्रेमाजी जाति- रेवारी निवासी-आमथला।
- 2.26 श्री वणवीर पुत्र श्री सामतीजी जाति- रेवारी निवासी-आमथला।
- 2.27 श्री हेमाराम पुत्र श्री वणवीर जाति- रेवारी निवासी-आमथला
- 2.28 श्री किशोरसिंह पुत्र श्री दादूसिंह जाति राजपूत निवासी आमथला।
- 2.29 श्रीमती मेतीदेवी पत्नि श्री गीठाराम जाति- भील निवासी-आमथला
- 2.30 श्रीमती गीतादेवी पत्नि श्री डूंगरी जाति- रेवारी निवासी-आमथला



जिला कलेक्टर, सिरोही



- 2.31 श्री भाणा पुत्र श्री कसना जाति भील निवासी आमथला
- 2.32 श्री चीनाराम पुत्र श्री सांकलराम जाति- भील निवासी-आमथला
- 2.33 श्री तेजाराम पुत्र श्री जैसाजी जाति कुम्हार निवासी आमथला
- 2.34 श्रीमती लक्ष्मी पत्नि श्री जीवाराम जाति- रेवारी निवासी-आमथला
- 2.35 श्री उकचन्द पुत्र श्री हंसाजी जाति कुम्हार निवासी आमथला ।
- 2.36 श्री कसनाराम पुत्र श्री सांकलाजी जाति- रेवारी निवासी-आमथला
- 2.37 श्रीमती लक्ष्मीदेवी पत्नि श्री वावरा जाति- रेवारी निवासी-आमथला
- 2.38 श्री रमेशचन्द्र पुत्र श्री छोगाराम जाति- मेघवाल निवासी-आमथला
- 2.39 श्री भगवानाराम पुत्र श्री लाखाजी जाति- रेवारी निवासी-आमथला
- 2.40 श्री केसा पुत्र श्री सोमतीजी जाति- रेवारी निवासी-आमथला
- 2.41 श्री रूपाराम पुत्र श्री नगाजी जाति- रेवारी निवासी-आमथला
- 2.42 श्रीमती तीजा पत्नि श्री भगाराम जाति- रेवारी निवासी-आमथला
- 2.43 श्री नीवाराम पुत्र श्री मादाजी जाति- रेवारी निवासी-आमथला
- 2.44 श्रीमती ज्योतीवाई पत्नि श्री सरुपाजी जाति- रेवारी निवासी-आमथला
- 2.45 श्री तेजसिंह पुत्र श्री जुहारसिंह जाति राजपूत निवासी आमथला ।
- 2.46 श्री शंकरसिंह पुत्र श्री लक्ष्मणसिंह जाति- राजपूत निवासी-आमथला
- 2.47 श्री नारायणलाल पुत्र श्री भीखाजी जाति- कुम्हार निवासी-आमथला
- 2.48 श्री मेगा पुत्र श्री गजाजी जाति- राजपूत निवासी-आमथला
- 2.49 श्री शंकरलाल पुत्र श्री वजाजी जाति- मेघवाल निवासी-आमथला
- 2.50 श्रीमती मगनीदेवी पत्नि श्री मोहनलाल जाति मेघवाल निवासी आमथला ।
- 2.51 श्री छोगाराम पुत्र श्री खसाराम जाति- मेघवाल निवासी-आमथला
- 2.52 श्री जयसिंह पुत्र श्री गेनसिंह जाति राजपूत निवासी आमथला ।
- 2.53 श्रीमती कैलाश कुंवर पत्नि श्री भगवानसिंह जाति- राजपूत निवासी-आमथला
- 2.54 श्री प्रभुदेव पुत्र श्री केराराम जाति- प्रजापत निवासी-आमथला
- 2.55 श्रीमती बदीदेवी पत्नि श्री छोगाराम जाति- भील निवासी-आमथला
- 2.56 श्री जालमसिंह पुत्र श्री तगतसिंह जाति- राजपूत निवासी-आमथला
- 2.57 श्री देवाराम पुत्र श्री सदाराम जाति रेवारी निवासी आमथला ।
- 2.58 श्री गोविंदसिंह पुत्र श्री विजयसिंह जाति- राजपूत निवासी-आमथला
- 2.59 श्री प्रभूराम पुत्र श्री सोमतींग जाति रेवारी निवासी आमथला ।
- 2.60 श्री स्व. भेराराम के वारिस श्रीमती बबली पत्नि श्री भेराराम, रामा व शंकर पुत्र श्री भेराराम जाति- रेवारी निवासी-आमथला
- 2.61 श्रीमती सूरजकुंवर पत्नि श्री लक्ष्मण जाति- राजपूत निवासी-आमथला
- 2.62 श्री तगतसिंह पुत्र श्री हिम्मतसिंह जाति- राजपूत निवासी-आमथला
- 2.63 श्री रमेशचन्द्र पुत्र श्री कपूराजी जाति- छीपा निवासी-आमथला
- 2.64 श्री देवाराम पुत्र श्री प्रेमाजी जाति- रेवारी निवासी-आमथला
- 2.65 श्री अशोक कुमार पुत्र श्री नवाराम जाति प्रजापत निवासी आमथला
- 2.66 श्री दिनेशकुमार पुत्र श्री तेजाराम जाति- प्रजापत निवासी-आमथला
- 2.67 श्री पूरणसिंह पुत्र श्री भवूतसिंह जाति- राजपूत निवासी-आमथला
- 2.68 श्रीमती गोदावरीदेवी पुत्र श्री भेराराम जाति- प्रजापत निवासी-आमथला
- 2.69 श्री अजयसिंह पुत्र श्री जयसिंह जाति राजपूत निवासी आमथला ।
- 2.70 श्री बलवंतसिंह पुत्र श्री भवूतसिंह जाति- राजपूत निवासी-आमथला
- 2.71 श्री भंवरलाल पुत्र श्री दौलाजी जाति- मेघवाल निवासी-आमथला
- 2.72 श्री लक्ष्मणसिंह पुत्र श्री भवूतसिंह जाति- राजपूत निवासी-आमथला
- 2.73 श्री अमराराम पुत्र श्री दानाजी रेवारी निवासी आमथला ।




जिला कलेक्टर, जालोर

- 2.74 श्रीमती विद्या पत्नि श्री विनोद कुमार जाति- पुरोहित निवासी-आमथला
- 2.75 श्री शैतानसिंह पुत्र श्री शिवनाथसिंह जाति- राव निवासी-कारोली
- 2.76 श्री मंगलसिंह पुत्र श्री अजीतसिंह जाति- राजपूत निवासी-आमथला
- 2.77 श्री विक्रमसिंह पुत्र श्री अजीतसिंह जाति- राजपूत निवासी-आमथला
- 2.78 श्री चंदनसिंह पुत्र श्री शिवनाथसिंह जाति- राव निवासी-कारोली
- 2.79 श्री विजयसिंह पुत्र श्री मोहबतसिंह जाति- राजपूत निवासी-आमथला
- 2.80 श्रीमती ललिताकुंवर पत्नि श्री जेदुसिंह जाति राव निवासी आमथला।
- 2.81 श्री मगनलाल पुत्र श्री तगाजी जाति- पुरोहित निवासी-आमथला
- 2.82 श्री पंकज पुत्र श्री ललित कुमार जाति- पुरोहित निवासी-आमथला
- 2.83 श्रीमती आशा पत्नि श्री लक्ष्मण जाति- भील निवासी-आमथला
- 2.84 श्री खेताराम पुत्र श्री सोनाराम जाति- कुम्हार निवासी-आमथला
- 2.85 श्री राजाराम पुत्र श्री बदाजी जाति- भील निवासी-आमथला
- 2.86 श्री रणाराम पुत्र श्री केराराम जाति- भील निवासी-आमथला
- 2.87 श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री तेजाराम जाति- कुम्हार निवासी-आमथला
- 2.88 श्री कसनाराम पुत्र श्री धरमाजी जाति- मेघवाल निवासी-आमथला
- 2.89 श्रीमती पिकी, संतोष पत्नि श्री गिरधर, घनश्याम जाति मेघवाल निवासी आमथला।
- 2.90 श्री सुरमाराम पुत्र श्री चतराजी जाति गरसिया निवासी आमथला।
- 2.91 श्री लक्ष्मणराम पुत्र श्री ओवाराम जाति- रेबारी निवासी-आमथला
- 2.92 श्री चम्पतराम पुत्र श्री तेजाराम जाति- कुम्हार निवासी-आमथला
- 2.93 श्री धरमाराम पुत्र श्री सोनाराम जाति- गरसिया निवासी-आमथला
- 2.94 श्री थाना पुत्र श्री वगताजी जाति- रेबारी निवासी-आमथला
- 2.95 श्री भगवानाराम पुत्र श्री वगताजी जाति- रेबारी निवासी-आमथला
- 2.96 श्री गेनाराम पुत्र श्री सरुपाजी जाति- रेबारी निवासी-आमथला
- 2.97 श्री लखाराम पुत्र श्री हीराजी जाति- रेबारी निवासी-आमथला
- 2.98 श्री भगवानाराम पुत्र श्री बाबराजी जाति- रेबारी निवासी-आमथला
- 2.99 श्रीमती देवी पत्नि श्री अर्जुनजी जाति- पुरोहित निवासी-आमथला
- 2.100 श्रीमती ललितादेवी पत्नि श्री जयन्तीलाल जाति- धारू (मेहतर) निवासी-कारोली
- 2.101 श्री जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री दलपत सिंह जाति- राजपूत निवासी आमथला
- 2.102 श्री भंवरसिंह पुत्र श्री रणजीतसिंह जाति- राव निवासी-आमथला
- 2.103 श्री रघुवीरसिंह पुत्र श्री दलपत सिंह देवड़ा जाति- राजपूत निवासी-आमथला
- 2.104 श्री रामाशंकर पुत्र श्री चौपाराम जाति- पुरोहित निवासी-आमथला
- 2.105 श्रीमती ममतादेवी पत्नि श्री विक्रम जाति- पुरोहित निवासी-आमथला
- 2.106 श्रीमती पुनीदेवी पत्नि श्री केवाराम जाति- रेबारी निवासी- आमथला
- 2.107 श्रीमती जतनकुंवर पत्नि श्री भीखसिंह जाति- राजपूत निवासी-आमथला
- 2.108 श्री मोडाराम पुत्र श्री तोगाजी जाति- रेबारी निवासी-आमथला
- 2.109 श्री हीरसिंह पुत्र श्री जामतसिंह जाति- राव निवासी-कारोली
- 2.110 श्री घनश्याम पुत्र श्री टेकाराम जाति- मेघवाल निवासी-आमथला
- 2.111 श्री गिरधर पुत्र श्री टेकाराम जाति- मेघवाल निवासी-आमथला
- 2.112 श्रीमती कमलाकुंवर पत्नि श्री छैलसिंह जाति- राव निवासी-आमथला
- 2.113 श्री नवाराम पुत्र श्री वगत्ताराम जाति- रेबारी निवासी- आमथला
- 2.114 श्री नाथुलाल पुत्र श्री वक्ताजी जाति- रेबारी निवासी- आमथला
- 2.115 श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री पुंजाराम जाति- प्रजापत निवासी- आमथला



जिला कलेक्टर, कारोली

- 2.116 श्रीमती चौथी पत्नि श्री सवाराम जाति- रेवारी निवासी- आमथला
- 2.117 श्री मगनलाल पुत्र श्री मोहनलाल जाति- नाई निवासी- आमथला
- 2.118 श्री जितेन्द्र वैष्णव पुत्र श्री रघुवीरदास जाति-वैष्णव निवासी- आमथला
- 2.119 श्री हीराराम पुत्र श्री भीखाजी जाति- रेवारी निवासी-कारोली
- 2.120 श्री नीबाराम पुत्र श्री वगताराम जाति- रेवारी निवासी- आमथला
- 2.121 श्री अनिल पुत्र श्री लल्लूराम जाति-सैनी निवासी-आमथला
- 2.122 श्रीमती हर्षा कुंवर पत्नि श्री विक्रमसिंह जाति- राजपूत निवासी- आमथला
- 2.123 श्रीमती रतन कुंवर पत्नि श्री किशोर सिंह जाति- राव निवासी- आमथला
- 2.124 श्री कुलदीपसिंह पुत्र श्री पुरणसिंह जाति- राव निवासी-कारोली
- 2.125 श्री कृष्णपाल पुत्र श्री रणजीतसिंह जाति-राव निवासी-आमथला
- 2.126 श्रीमती रमणी कुंवर पत्नि श्री नागसिंह जाति- राव निवासी-आमथला
- 2.127 श्री महेन्द्रसिंह पुत्र श्री नागसिंह जाति- राव निवासी-आमथला
- 2.128 श्रीमती देवी व्यास पत्नि श्री छगनलाल जाति- ब्राह्मण निवासी आमथला
- 2.129 श्री श्रवणसिंह पुत्र श्री माधुसिंह जाति- राव निवासी-आमथला
- 2.130 श्री लखमाराम, धरमाराम पुत्र श्री गजाजी जाति रेवारी निवासी आमथला।
- 2.131 श्री केसाराम पुत्र श्री तोगाराम जाति- रेवारी निवासी-आमथला
- 2.132 श्री गजाराम, मादाराम पुत्र श्री कुपाजी जाति- रेवारी निवासी-आमथला
- 2.133 श्री भेराराम पुत्र श्री मोडाराम जाति- रेवारी निवासी-आमथला
- 2.134 श्री नागसिंह पुत्र श्री हिन्दुसिंह जाति- राव निवासी-आमथला

पंचायत निगरानी प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम,

1994

उपस्थिति:-

1. श्री नटवरलाल जीनगर सहायक विकास अधिकारी प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री हंसराज पुरोहित, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या दो की ओर से ।
3. श्री अश्विन मरडिया, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या दो की ओर से ।
4. श्री नगेन्द्र मेडतिया, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या दो की ओर से ।
5. श्री राजेन्द्र सिंह आढा, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या दो की ओर से ।
6. श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या दो की ओर से ।
7. श्री विक्रम सिंह देवडा, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या दो की ओर से ।
8. श्री कलीम अब्बल, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या दो की ओर से ।
9. श्री प्रकाश धवल, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या दो की ओर से ।
10. श्री शैतानमल खरोर, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या दो की ओर से ।
11. श्री भैरूपाल सिंह बालावत, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या दो की ओर से ।
12. श्री धन्नाराम रेवारी, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या दो की ओर से ।
13. श्री ओमप्रकाश दहिया, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या दो की ओर से ।
14. श्री राजेन्द्र पुरी, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या दो की ओर से ।
15. श्री नाथूसिंह देवडा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या दो की ओर से।
16. अप्रार्थी संख्या दो स्वयं।



निर्णय

दिनांक: 26.02.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना-पत्र राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत सरपंच ग्राम पंचायत, आमथला द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में जारी किया गया पट्टा संख्या 57, 58, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 80, 79, 81, 84, 88, 78, 82,

जिला कलेक्टर, जहानाबाद

83, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 98, 99, 100, 01, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 50, 56, 63, 68, 69, 72, 77, 79, 80, 81, 87, 89, 91, 92, 95, 64, 100, 14, 28, 96, 25, 59, 60, 97, 02, 03, 15, 35, 37, 47, 49, 53, 54, 57, 58, 61, 64, 65, 67, 70, 75, 82, 83, 84, 85, 88, 93, 94, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 17 व 07 दिनांक 12.07.2017 को निरस्त कराने हेतु इस विनाय पर प्रस्तुत किया कि उक्त पट्टा राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम नियम 157(1) की पालना किए बिना जारी किया गया है।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या दो की ओर से अधिवक्तागण ने जरिमे वकालतनामा के उपस्थिति दी एवं जवाब एवं दस्तावेज प्रस्तुत किया। प्रकरण में दोनों पक्षों की विस्तृत बहस सुनी गई।

प्रार्थी की ओर से दौरान बहस मेरा ध्यान प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या दो को नियमों के विपरित नियम 157(1) के तहत पट्टा जारी किया है। ग्राम पंचायत आमथला द्वारा पट्टे जारी करने के लिए न तो कमेटी का गठन किया गया है और न ही निर्धारित शुल्क जमा किया गया है। आपत्ति नोटिस निगरानी के साथ पेश नहीं किया गया है। अप्रार्थी संख्या दो अति निर्धन होने एवं अन्य कोई भूखण्ड नहीं होने का कोई उल्लेख नहीं है। शिकायत प्रस्तुत होने पर जांच के आधार पर ही निगरानी प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। पंचायत द्वारा नियमों की अवहेलना कर पट्टा जारी किया गया है, इस कारण पंचायत को आर्थिक क्षति हुई है। पंचायत स्तर पर नियमों के अन्तर्गत अपेक्षित कार्यवाही, जांच सम्पन्न नहीं की गई है। अप्रार्थी संख्या दो का मकान 2016 से पूर्व के होने के संबंध में पत्रावली पर कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे अप्रार्थी संख्या दो को राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 157(1) की पालना किए बिना जारी किया गया है। अतः पट्टा निरस्त करने योग्य है।

अप्रार्थी संख्या दो स्वयं एवं अप्रार्थी संख्या दो के लायक अधिवक्तागण द्वारा दौरान बहस मेरा ध्यान इन निगरानी में प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन किया कि पंचायत द्वारा प्रस्ताव लेकर अप्रार्थीगण को नियम 157(1) के तहत पट्टा जारी किया गया है। प्रार्थना पत्र पद संख्या एक में दर्ज कथन पूर्णतया गलत, मनगढंत व मिथ्या है। अप्रार्थी संख्या एक द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 145 के अंतर्गत नियमानुसार प्रार्थना पत्र शुल्क प्राप्त कर कार्यवाही की गयी है एवं बाद जांच एवं सम्पूर्ण कार्यवाही कर अप्रार्थी संख्या एक ने अप्रार्थी संख्या दो के पक्ष में नियम 157(1) के तहत निर्मित मकान का पट्टा अप्रार्थी संख्या दो के पक्ष में नियमानुसार जारी किया गया है। उक्त पट्टा जारी करने में नियमों की किसी प्रकार की कोई अवहेलना नहीं की गयी है। अप्रार्थी संख्या दो द्वारा निर्धारित शुल्क जमा कराने के बाद ही पट्टा जारी किया गया है, जिसकी रसीद अप्रार्थी संख्या दो द्वारा प्रस्तुत की गई है। पंचायत रिकॉर्ड में उक्त रसीद उपलब्ध नहीं होने को अप्रार्थी संख्या दो की गलती नहीं माना जा सकता। ग्राम पंचायत आमथला द्वारा कमेटी का गठन नहीं किया गया है तो उसके लिए ग्राम पंचायत जिम्मेदार है न कि अप्रार्थी संख्या दो। अतः प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र अस्वीकार करना फरमावे।



उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र एवं अप्रार्थी संख्या दो की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं पत्रावली का भलिगोति नियमों के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो निष्कर्ष निम्न प्रकार है :-

जिला कलेक्टर, सिरोही

जहां तक अप्रार्थी संख्या दो के लायक अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी प्रार्थना पत्र म्याद बाहर प्रस्तुत किया गया है इस संबंध में विधिक दृष्टान्त सएआर 1997 पेज 783, आरएलडब्लू 1999(3) राजस्थान पेज 1390, आरएलडब्लू 1997(3) राजस्थान पेज 1567 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 धारा 97 का प्रयोग करते समय परिसीमा अधिनियम, 1963, अनुच्छेद 137 के अधीन पुनरीक्षण शक्तियों का उपयोग करने हेतु राज्य सरकार की शक्तियों जिला कलेक्टर को दी गई है। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1953 की धारा 27(क) सपटित राजस्थान पंचायत एवं साधारण नियम 1961 के नियम 272 के अन्तर्गत परिसीमा की अवधि के प्रावधानों के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा पुनरीक्षणीय शक्तियों का प्रयोग अभिनिर्धारित न्यायोचित अवधि के भीतर करने का निर्णय दिया गया है साथ ही न्यायोचित अवधि प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर निर्भर करेगी।

अप्रार्थी संख्या दो के अधिवक्तागणों द्वारा यह प्रार्थना पत्र म्याद बाहर प्रस्तुत किये जाने का कथन है, कि यह निगरानी प्रार्थना पत्र लम्बे समय बाद प्रस्तुत किया है अप्रार्थी संख्या दो के अधिवक्तागणों का यह कथन सत्य है, किन्तु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भी विधिक दृष्टान्तों में पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग करने में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर निर्भर करना माना गया है, एवं ऐसे प्रकरण में भी समयावधि के बारे में उचित अवधि का सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है।



इस न्यायालय को निगरानी दायर करने के पश्चात् अप्रार्थी संख्या दो द्वारा जिला कलेक्टर कार्यालय सिरोही को एक पत्र देकर प्रशासनिक जांच के लिए निवेदन किया था, जिसकी जांच विकास अधिकारी पंचायत समिति आवूरोड द्वारा करवाई गई, जो उनके पत्र संख्या 654 दिनांक 04.09.2020 एवं 197 दिनांक 29.12.2020 से प्राप्त की। उस जांच रिपोर्ट को भी इस पत्रावली/निर्णय का भाग माना जायेगा। प्रस्तुत निगरानी, प्रशासनिक जांच रिपोर्ट एवं अप्रार्थी संख्या दो द्वारा प्रस्तुत जवाबनामों के साथ संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन कर एक Factual Matrix बनाई गई जो निम्नानुसार है—

निगरानी संख्या	निर्मित संरचना	पडत कब्जा	कितना दे सकते हैं।	कितना दिया है।	दस्तावेज संलग्न	मकान का फोटो	विशेष विवरण
1.	मकान			1989 वर्गफुट	कोई नहीं	उपलब्ध है।	2016 से पूर्व का बना होने का कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है एवं पट्टे से अधिक कब्जा किया हुआ है।
2.	मकान 990 वर्गफुट	690 वर्गफुट	1238 वर्गफुट	1680 वर्गफीट	विजली का विल-2010	उपलब्ध है।	प्रस्तुत दस्तावेज विजली का विल पति के नाम जारी है।
3.	मकान			542 वर्गफीट	विजली का विल-2008	उपलब्ध है।	विजली व पानी का विल पिता के नाम जारी है।
4.	मकान			496 वर्गफीट	विजली का विल-2008 व	उपलब्ध है।	क्रम संख्या 3 व 4 3 में प्रस्तुत दस्तावेज समान है एवं पट्टा अलग-अलग जारी किया हुआ है।
5.	मकान			642.15 वर्गफीट	विजली का विल-2007 व पानी का विल - 2012	उपलब्ध है।	विजली व पानी के विल पति के नाम जारी है।
6.	कोई साक्ष्य नहीं			470 वर्गफीट	विजली का विल-2020 व पानी का विल - 2020	नहीं	2016 से पूर्व का कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है।
7.	मकान			508.75 वर्गफीट	विजली का विल-2012	उपलब्ध है।	विजली व पानी का विल पिता के नाम जारी है।

जिला कलेक्टर, सिरोही

8.	मकान		432 वर्गफीट	विजली का बिल-2012 व पानी का बिल - 2012	उपलब्ध है।	
9.	कोई साक्ष्य नहीं		544 वर्गफीट	विजली का बिल-2012 व पानी का बिल - 2014	नहीं	
10.	मकान		546 वर्गफीट	विजली का बिल-2018 व पानी का बिल - 2013	उपलब्ध है।	पानी का बिल पिता के नाम एवं विजली का बिल स्वयं के नाम है जिससे 2016 से पूर्व का पता नहीं चलता है।
11.	मकान		456 वर्गफीट	विजली का बिल-2018 व पानी का बिल - 2013	उपलब्ध है।	
12.	मकान		660 वर्गफीट	विजली का बिल-2020 व पानी का बिल - 1985	उपलब्ध है।	विजली व पानी का बिल पिता के नाम जारी है।
13.	कोई साक्ष्य नहीं		667 वर्गफीट	आधार कार्ड, पहचान पत्र एवं राशन कार्ड	नहीं	2016 से पूर्व के होने का कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं
14.	कोई साक्ष्य नहीं		408 वर्गफीट	आधार कार्ड, पहचान पत्र एवं राशन कार्ड	नहीं	2016 से पूर्व के होने का कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं
15.	कोई साक्ष्य नहीं		306 वर्गफीट	आधार कार्ड एवं राशन कार्ड	नहीं	2016 से पूर्व का होने का कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है।
16.	कोई साक्ष्य नहीं		675 वर्गफीट	कोई नहीं	नहीं	कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया
17.	मकान		770 वर्गफीट	विजली का बिल-2008 एवं जन आधार कार्ड	उपलब्ध है।	2016 से पूर्व के होने का कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं
18.	मकान		803.25 वर्गफीट	पहचान पत्र	उपलब्ध है।	2016 से पूर्व के होने का कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं
19.	मकान		760 वर्गफीट	विजली का बिल 2006 पानी का बिल-2014	उपलब्ध है	अप्रार्थी को दो पट्टे जारी किये गये है संलग्न सभी दस्तावेज अन्य पट्टे संख्या 51 है, जिसकी निगरानी पेश नहीं हुई।
20.	कोई साक्ष्य नहीं		1113 वर्गफीट	कोई नहीं	नहीं	2016 से पूर्व के होने का कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं
21.	मकान		640 वर्गफीट	विजली का बिल-2016 व पानी का बिल - 2014	उपलब्ध है।	अप्रार्थी को एक ही भूमि के दो पट्टे जारी किये गये है एवं निगरानी एक पट्टे की पेश की है।
22.	मकान		182 वर्गफीट	पानी का बिल-1999	उपलब्ध है।	पानी का बिल अप्रार्थीया के पति के नाम जारी है।
23.	मकान		2000 वर्गफीट	विजली का बिल-2015	उपलब्ध है।	
24.	मकान		884 वर्गफीट	पानी का बिल-2005 एवं विजली का बिल-2010	उपलब्ध है।	
25.	मकान		792 वर्गफीट	विजली का बिल-2013	उपलब्ध है।	



जिला कलेक्टर, सिरोही

26	मकान		698 वर्गफीट	विजली का बिल-2007	उपलब्ध है।	
27	मकान		486 वर्गफीट	विजली का बिल-2012 एवं पानी का बिल-2013	उपलब्ध है।	पानी बिल पिता के नाम जारी है।
28	मकान		442 वर्गफीट	विजली का बिल-2015 एवं पानी का बिल-2012	उपलब्ध है।	
29	मकान		345 वर्गफीट	विजली का बिल-2019	उपलब्ध है।	2016 से पूर्व के होने का कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं
30	मकान		500 वर्गफीट	विजली का बिल-2017 एवं गैस डायरी-2014	उपलब्ध है।	प्रस्तुत दस्तावेज 2016 से पूर्व का गैस डायरी है जिसमें प्रार्थी का पता अलग है।
31	मकान		416 वर्गफीट	कोई नहीं	उपलब्ध है।	2016 से पूर्व के होने का कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं
32	मकान		595 वर्गफीट	विजली का बिल-2007 एवं पानी का बिल-2012	उपलब्ध है।	विजली का बिल पिता के नाम जारी है।
33	कोई साक्ष्य नहीं		950.22 वर्गफीट	कोई नहीं	नहीं	कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं
34	मकान		500 वर्गफीट	विजली का बिल-2017 एवं गैस डायरी-2014	उपलब्ध है।	प्रस्तुत दस्तावेज अन्य व्यक्तियों के नाम जारी है।
35	कोई साक्ष्य नहीं		512 वर्गफीट	कोई नहीं	नहीं	कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।
36	मकान		869.49 वर्गफीट	पानी का बिल-2016	उपलब्ध है।	
37	मकान		561 वर्गफीट	विजली का बिल-2014	उपलब्ध है।	विजली का बिल पुत्र के नाम जारी है।
38	मकान		518.4 वर्गफीट	विजली बिल-2008	उपलब्ध है।	
39	मकान		1570 वर्गफीट	विजली का बिल-2008 एवं पानी का बिल-2012	उपलब्ध है।	
40	मकान		2636 वर्गफीट	विजली का बिल-2009 एवं पानी का बिल-2013	उपलब्ध है।	प्रस्तुत दस्तावेजों में पिता का नाम अलग है।
41	मकान		1280.5 वर्गफीट	विजली का बिल-2008	उपलब्ध है।	प्रस्तुत दस्तावेज पिता के नाम जारी है।
42	मकान		1055 वर्गफीट	पानी का बिल-2016 एवं विजली का बिल-2012	उपलब्ध है।	विजली का बिल पति के नाम जारी है।
43	मकान		808.25 वर्गफीट	विजली का बिल-2010	उपलब्ध है।	प्रस्तुत दस्तावेज अन्य के नाम जारी है।
44	मकान		756 वर्गफीट	विजली बिल-2010	उपलब्ध है।	प्रस्तुत दस्तावेज अन्य के नाम जारी है।
45	मकान		430.56 वर्गफीट	विजली बिल-2010 एवं पानी बिल-1998	उपलब्ध है।	प्रस्तुत दस्तावेज पिता के नाम जारी है।
46	मकान		421.2 वर्गफीट	विजली का बिल-2010	उपलब्ध है।	
47	कोई साक्ष्य नहीं		1113 वर्गफीट	कोई नहीं	नहीं	2016 से पूर्व का कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं

जिला कलेक्टर, सिराही

							है एवं एक ही व्यक्ति के नाम दो पट्टे एक ही भूमि में जारी किये हुए एवं दूसरे पट्टे की निगरानी पेश नहीं की।
48.	मकान			624 वर्गफीट	पानी का विल-1997	उपलब्ध है।	प्रस्तुत दस्तावेज में पिता का नाम अलग है।
49	मकान			1739 वर्गफीट	विजली का विल-1999 एवं पानी का विल-2002	उपलब्ध है।	प्रस्तुत दस्तावेज पिता एवं भाई के नाम जारी है।
50	मकान			380 वर्गफीट	आधार कार्ड	उपलब्ध है।	2016 से पूर्व के होने का कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं
51	मकान			684 वर्गफीट	विजली का विल-2008 एवं पानी का विल-2002	उपलब्ध है।	
52	कोई साक्ष्य नहीं			1023 वर्गफीट	कोई नहीं	नहीं	कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया।
53	कोई साक्ष्य नहीं			1116 वर्गफीट	कोई नहीं	नहीं	कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया।
54	मकान			480 वर्गफीट	पानी का विल-2010	उपलब्ध है।	
55.	मकान			425 वर्गफीट	विजली विल-2014 पानी विल-2018	उपलब्ध है।	पानी विल पति के नाम जारी है।
56.	मकान			1711 वर्गफीट	विजली विल-2012	उपलब्ध है।	प्रस्तुत दस्तावेज पिता के नाम जारी है।
57.	मकान			728 वर्गफीट	विजली कनेक्शन रसीद-2016	उपलब्ध है।	प्रस्तुत दस्तावेज पिता के नाम जारी है।
58.	मकान			2000 वर्गफीट	पहचान पत्र	उपलब्ध है।	2016 से पूर्व का होने का कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है।
59.	मकान -726 वर्गफीट	2069 वर्गफीट	907.5 वर्गफीट	2795 वर्गफीट	विजली विल-2006 पानी विल-2020	उपलब्ध है।	निर्धारित मापदण्ड से अधिक कब्जा किया हुआ है।
60.	मकान			504 वर्गफीट	विजली विल-2011 पानी विल-2013	उपलब्ध है।	पानी विल पुत्र के नाम जारी है।
61.	मकान			630 वर्गफीट	विजली रसीद-1983 पानी रसीद-1985	उपलब्ध है।	प्रस्तुत दस्तावेज पति के नाम से जारी है।
62.	मकान			1343 वर्गफीट	विजली विल-2012	उपलब्ध है।	
63.	मकान			250 वर्गफीट	विजली विल-2011	उपलब्ध है।	
64.	मकान			504 वर्गफीट	विजली विल-2020	उपलब्ध है।	2016 से पूर्व का होने का कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है।
65.	कोई साक्ष्य नहीं			340 वर्गफीट	कोई नहीं	नहीं	कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।
66.	मकान			456.28 वर्गफीट	विजली विल-1990 पानी विल-1999	उपलब्ध है।	प्रस्तुत दस्तावेज पिता के नाम जारी है।



जिला कलेक्टर, जहानाबाद

67.	मकान		1099.35 वर्गफीट	विजली बिल-2008 पानी बिल-2012	उपलब्ध है।	प्रस्तुत दस्तावेज पिता के नाम जारी है।
68.	मकान		470.92 वर्गफीट	ग्राम पंचायत मौका निरीक्षण रसीद 2013	उपलब्ध है।	2016 से पूर्व का होने का कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है।
69.	कोई साक्ष्य नहीं		600 वर्गफीट	कोई नहीं	नहीं	कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है।
70.	मकान		1137.5 वर्गफीट	विजली बिल-2015 पानी बिल-2018	उपलब्ध है।	प्रस्तुत दस्तावेज पिता के नाम जारी है।
71.	मकान		647.5 वर्गफीट	विजली बिल-1998	उपलब्ध है।	
72.	मकान		1137.5 वर्गफीट	विजली बिल-2015 पानी बिल-2014	उपलब्ध है।	प्रस्तुत दस्तावेज पिता के नाम जारी है।
73.	कोई साक्ष्य नहीं		980 वर्गफीट	कोई नहीं	नहीं	कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है।
74.	कोई साक्ष्य नहीं		2436 वर्गफीट	कोई नहीं	नहीं	2016 से पूर्व का बना होने का कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है।
75.	कोई साक्ष्य नहीं		1012 वर्गफीट	विजली बिल-1999, 2020	नहीं	मकान बना होने का कोई दस्तावेज नहीं है।
76.	मकान		1500 वर्गफीट	पानी बिल-2013	उपलब्ध है।	प्रस्तुत दस्तावेज पिता के नाम जारी है।
77.	मकान		1500 वर्गफीट	विजली बिल-2006	उपलब्ध है।	
78.	कोई साक्ष्य नहीं		600 वर्गफीट	विजली बिल-2019 पानी बिल-2001	नहीं है।	
79.	मकान		825 वर्गफीट	विजली बिल-2006 पानी रसीद-2006	उपलब्ध है।	
80.	कोई साक्ष्य नहीं		753.17 वर्गफीट	कोई नहीं	नहीं	कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है।
81.	कोई साक्ष्य नहीं		972 वर्गफीट	कोई नहीं	नहीं	2016 से पूर्व का बना होने का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है।
82.	कोई साक्ष्य नहीं		954 वर्गफीट	कोई नहीं	नहीं	2016 से पूर्व का बना होने का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है।
83.	मकान		630 वर्गफीट	विजली बिल-2019	उपलब्ध है।	2016 से पूर्व का बना होने का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है।
84.	कोई साक्ष्य नहीं		1957.5 वर्गफीट	कोई नहीं	नहीं	2016 से पूर्व का बना होने का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है।
85.	मकान		1710 वर्गफीट	विजली बिल-2019	उपलब्ध है।	2016 से पूर्व का बना होने का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है।
86.	मकान		700 वर्गफीट	पानी बिल-2018	उपलब्ध है।	2016 से पूर्व का बना होने का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है।
87.	मकान		877.5 वर्गफीट	विजली रसीद-1980 पानी रसीद-1999	उपलब्ध है।	प्रस्तुत दस्तावेज पिता के नाम जारी है।
88.	मकान		1151.37 वर्गफीट	विजली रसीद-1988 पानी रसीद-2004	उपलब्ध है।	उक्त भूमि का पट्टा एक ही दिन अन्य व्यक्ति को भी जारी



जिला कलेक्टर, सिरोही

							किया गया है। अतः इस पर स्वामित्व विवाद चल रहा है।
89.	मकान				कोई नहीं	उपलब्ध है।	उक्त पट्टा क्र.सं. 88 पर उपलब्ध पट्टे की भूमि पर ऑवरलैपिंग कर जारी किया गया है।
90.	कोई साक्ष्य नहीं			875 वर्गफीट	कोई नहीं	नहीं	कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है।
91.	मकान			693.6 वर्गफीट	विजली विल-2015	उपलब्ध है।	प्रस्तुत दस्तावेज में पिता का नाम अलग है।
92.	मकान			457.6 वर्गफीट	विजली विल-2021 पानी विल-2020	उपलब्ध है।	2016 से पूर्व का कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है।
93.	कोई साक्ष्य नहीं			3944 वर्गफीट	कोई नहीं	नहीं	उक्त भूमि मुदरला ग्राम पंचायत क्षेत्र के अन्दर है। तथा यू.आई.टी. क्षेत्राधिकार में है।
94.	कोई साक्ष्य नहीं			444.59 वर्गफीट	मौका निरीक्षण रसीद-1999	नहीं	2016 पूर्व का होने का कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है एवं भूमि पर मात्र एक कमरा निर्मित है। जिसे उपयोग में नहीं लिया जा रहा है।
95.	कोई साक्ष्य नहीं			364.09 वर्गफीट	पानी विल-2012	नहीं	अप्रार्थी अन्य मकान में निवासरत है। मौके पर एक कमरा बना है। जिसमें चारा भरा हुआ है।
96.	मकान			780.05 वर्गफीट	विजली विल-2013 पानी विल-2012	उपलब्ध है।	भूमि अन्य से क्रय की है जिसके सम्बन्ध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है।
97.	मकान (निरीक्षण रिपोर्ट अनुसार)			710.05 वर्गफीट	पानी विल-2013	उपलब्ध है।	प्रस्तुत दस्तावेज में जाति का उल्लेख गलत है।
98.	मकान			612 वर्गफीट	विजली विल-2012 पानी विल-2012	उपलब्ध है।	प्रस्तुत दस्तावेज भाई के नाम जारी है।
99.	मकान			1829 वर्गफीट	पानी कनेक्शन सूचि-2010	नहीं	2016 से पूर्व का बना होने का कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है।
100.	मकान			850 वर्गफीट	विजली विल-2017	उपलब्ध है।	अन्य से क्रय किया जिसके सम्बन्ध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है और न ही 2016 से पूर्व का बना होने का कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया है।
101.	मकान			3075 वर्गफीट	कोई नहीं	उपलब्ध है।	केवल चार दीवारी है एवं अधिक भूमि का पट्टा जारी किया गया है तथा 2016 से पूर्व का बना होने का कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है।
102.	मकान - 1000 वर्गफीट	1320 वर्गफीट	1250 वर्गफीट	2320 वर्गफीट	मौका निरीक्षण रिपोर्ट	नहीं	ग्राम कारोली से दूर पट्टा जारी किया है जिसे किराये पर दे रखा है। अप्रार्थी



जिला कलेक्टर, सिरोही

							कारोली ग्राम में रहता है।
103.	मकान - 418 वर्गफीट	2270 वर्गफीट	522.50 वर्गफीट	2688 वर्गफीट	कोई नहीं	उपलब्ध है।	उक्त भूमि पर चार दीवारी बनी हुई है एवं 2016 से पूर्व का बना होने का कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है।
104.	मकान			1098.90 वर्गफीट	विजली विल-2015	उपलब्ध है।	पट्टे व मकान की चतुर्दशी भिन्न है। अन्य से क्रय किए जाने के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है।
105.	मकान			1152 वर्गफीट	विजली विल-2016 पानी रसीद-2017	उपलब्ध है।	अन्य से क्रय के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है।
106.	मकान			1125 वर्गफीट	विजली विल-2009	नहीं	नवनिर्मित मकान। प्रस्तुत दस्तावेज पति के नाम से जारी है।
107.	मकान			1534 वर्गफीट	पानी रसीद-2015	उपलब्ध है।	प्रस्तुत दस्तावेज पति के नाम से जारी है।
108.	मकान			875 वर्गफीट	कोई नहीं	उपलब्ध है।	कच्ची ईंटों का मलवा पड़ा हुआ है। आवास निर्मित नहीं है। एवं 2016 से पूर्व का होने का कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है।
109.	मकान -315 वर्गफीट	585 वर्गफीट	393.75 वर्गफीट	900 वर्गफीट	विजली विल-2009	उपलब्ध है।	मौके पर दो कमरे हैं एवं उनको किराये दे रखा है।
110.	मकान			1524.96 वर्गफीट	कोई नहीं	उपलब्ध है।	अप्रार्थी के पति के नाम अन्य पट्टा इसी दिन जारी किया गया है।
111.	मकान			1524.96 वर्गफीट	कोई नहीं	उपलब्ध है।	अप्रार्थी के पति के नाम अन्य पट्टा इसी दिन जारी किया गया है।
112.	मकान			2342.97 वर्गफीट	विजली विल-2010 पानी विल-2012	उपलब्ध है।	सड़क के पास पट्टा जारी किया है एवं प्रस्तुत दस्तावेज पति के नाम से जारी है।
113.	दुकान			728.41 वर्गफीट	विजली विल-1996 पानी विल-2005	नहीं	प्रस्तुत दस्तावेज पिता के नाम से जारी है व दो कमरे निर्मित है जिसमें एक में चारा भरा हुआ है एवं दूसरे में उचित मूल्य की दुकान संचालित है।
114.	मकान - 978 वर्गफीट	2833 वर्गफीट	1222.50 वर्गफीट	3811 वर्गफीट	कोई नहीं	उपलब्ध है।	अन्य से क्रय के सम्बन्ध में एवं 2016 से पूर्व का बना होने के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है।
115.	मकान			864 वर्गफीट	कोई नहीं	उपलब्ध है।	अन्य से क्रय के सम्बन्ध में एवं 2016 से पूर्व का बना होने के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है।
116.	मकान			524.8 वर्गफीट	कोई नहीं	नहीं	भूमि रिक्त है। एवं आवास निर्मित नहीं है।



मिना कलेक्टर, तिरुनेलवेली

117.	दुकान		321.9 वर्गफीट	कोई नहीं	नहीं	वर्तमान में नाई की दुकान संचालित है। एवं 2016 से पूर्व का कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है।
118.	मकान		832 वर्गफीट	विजली बिल-2004	उपलब्ध है।	प्रस्तुत दस्तावेज पिता के नाम से जारी किया गया है एवं अन्य से क्रय के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है।
119.	मकान		1192.5 वर्गफीट	विजली बिल-2019	उपलब्ध है।	2016 से पूर्व का बना होने का कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। एवं अप्रार्थी अपने पिता के मकान में निवास करता है।
120.	मकान (निरीक्षण रिपोर्ट अनुसार)		1400 वर्गफीट	कोई नहीं	नहीं	2016 से पूर्व का कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है।
121.	दुकान		2028.51 वर्गफीट	कोई नहीं	नहीं	2016 से पूर्व का कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है एवं स्टोर के रूप में उपयोग लिया जा रहा है।
122.	मकान		1500 वर्गफीट	कोई नहीं	उपलब्ध है।	पहले अप्रार्थी के श्वसुर के नाम जारी हुआ उनका पट्टा निरस्त होने के बाद उनकी पुत्रवधु के नाम जारी किया एवं 2016 से पूर्व का कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है।
123.	मकान		600 वर्गफीट	विजली बिल-2020 पानी बिल-2019	उपलब्ध है।	इनके पति के नाम जारी बिल 2019 का है। एवं उक्त पट्टा सड़क सीमा में है।
124.	मकान		2700 वर्गफीट	कोई नहीं	गलत फोटो उपलब्ध है।	वर्तमान में उक्त भूखण्ड रिक्त है। एवं झाड़ियां उगी हुई हैं।
125.	दुकान		1589 वर्गफीट	विजली बिल-2012	नहीं	प्रस्तुत दस्तावेज अन्य व्यक्ति के नाम से जारी है एवं उक्त भवन में दुकान संचालित है।
126.	कोई साक्ष्य नहीं		1394 वर्गफीट	कोई नहीं	नहीं	उक्त भूखण्ड रिक्त है।
127.	मकान		2064 वर्गफीट	कोई नहीं	उपलब्ध है।	मौके रिपोर्ट के अनुसार कोई निर्माण नहीं है।
128.	मकान		2700 वर्गफीट	कोई नहीं	नहीं	कच्ची ईंटों का मलबा पड़ा है एवं आवास रिक्त है।
129.	मकान		968 वर्गफीट	पानी रसीद-2015	उपलब्ध है।	कुछ भाग पर टीनशेड है एवं कुछ भाग रिक्त है। भूमि पर टी.ए.डी. क्वार्टर है।
130.	मकान		2870 वर्गफीट	विजली बिल-2019	उपलब्ध है।	2016 से पूर्व का कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है एवं अधिक भूमि पर कब्जा किया हुआ है।



जिला कलेक्टर, सिरोही

131.	मकान		624 वर्गफीट	विजली विल-2019	उपलब्ध है।	2016 से पूर्व का कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है।
132	मकान		1500 वर्गफीट	विजली विल-2010	उपलब्ध है।	प्रस्तुत दस्तावेज अन्य व्यक्ति का है एवं मौके पर निर्माण कार्य चालू है।
133.	मकान		2925 वर्गफीट	विजली विल-2016	उपलब्ध है।	अधिक भूमि का पट्टा जारी किया हुआ है एवं कुछ भाग पर चार दीवारी व शेष भाग रिक्त है।
134.	मकान		2687.5 वर्गफीट	कोई नहीं	उपलब्ध है।	इस पट्टे की भूमि पर पूर्व में पट्टा संख्या 38 दिनांक 27.05.1997 को जारी हो चुका है।

उपरोक्त Factual Matrix को देखने से पता चलता है कि कई सारे पट्टे जारी करने में साक्ष्यों को नहीं देखा गया है। कई सारे अप्रार्थीगणों द्वारा 2016 से पूर्व का मकान बने होने को कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है एवं कुछ अप्रार्थीगणों के द्वारा विजली व पानी के विल 2016 से पूर्व का प्रस्तुत किया है लेकिन उसके आधार पर इन परिस्थितियों के मद्देनजर यह निष्कर्ष निकाल पाना मुश्किल है कि प्रस्तुत किए गए विल उसी मकान के है। पट्टे जारी करने के लिए कोई मिसल संधारित नहीं की गई है जो इन जारी पट्टों को उसी मकान का होने का साबित कर सके। ग्राम पंचायत आमथला द्वारा कुछ प्लॉटों के दो पट्टे जारी किए गए हैं एवं कुछ पट्टे निर्धारित मापदण्ड से अधिक जारी किए गए हैं। ग्राम पंचायत आमथला द्वारा कहीं-कहीं दुकानों एवं खाली प्लॉटों तथा सड़क सीमाओं के पट्टे भी जारी किए गए हैं, जबकि नियम 157(1) के तहत वर्ष 2016 से पूर्व निर्मित घरों का ही पट्टा जारी किया जा सकता है। इन सभी अनियमितताओं को देखने पर पट्टे जारी करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया पर प्रश्नचिन्ह लग जाता है। राजस्थान पंचायतीराज के परिपत्र क्रमांक एफ.1390परावि/विधि/नियम/मार्गदर्शन/2012/23 दिनांक 10.01.2013 के अनुसार प्रशासन गांव के संग अभियान में पट्टे जारी करने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाता है तथा उक्त कमेटी स्थल निरीक्षण करने के पश्चात् नियम 148 व 149 के अनुसार नोटिस जारी कर प्राप्त आक्षेपों का निपटारा करने के पश्चात् पट्टा जारी किया जायेगा। परन्तु उक्त सभी पट्टों को जारी करने इस प्रक्रिया की पालना नहीं की गई है, और न ही पट्टे पर गवाहों के हस्ताक्षर करवाए गए हैं, जिससे ग्राम पंचायत आमथला द्वारा जारी समस्त पट्टे संदेह के घेरे में आते हैं। ऐसी परिस्थितियों के मद्देनजर रखते हुए न्यायहित में उचित होगा कि नये सिरे से सम्पूर्ण प्रक्रिया की पालना कर मिसल बनाकर पट्टों को नियमानुसार एवं नियम विरुद्ध घोषित किया जाए ताकि आगे अनावश्यक विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो। इन्हीं निर्देशों के साथ यह न्यायालय ग्राम पंचायत आमथला द्वारा जारी 134 पट्टों को पुनर्विचारार्थ प्रेषित करना न्यायहित में उचित मानता है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्रार्थी एवं ग्राम पंचायत आमथला को निर्देश दिए जाते हैं कि कमेटी गठित कर नियम 148 एवं 149 के अनुसार प्राप्त आक्षेपों का निस्तारण कर प्रत्येक आवेदक की अलग-अलग मिसल संधारित कर पट्टों को तीन माह में नियमानुसार एवं नियम विरुद्ध की श्रेणी में छाँटे एवं जो पट्टे



जिला उल्हास, विरोधी

नियम विरुद्ध है उनकी निगरानी प्रस्तुत करें। जब तक ग्राम पंचायत आमथला द्वारा उपरोक्त अनुसार कार्यवाई नहीं होती है तब तक के लिए सभी पट्टों से जुड़ी भूमि/भवन अथवा दोनों के सम्बन्ध में मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखी जाए एवं इन सम्पत्तियों का बेचान किसी अन्य को नहीं हो सकेगा एवं पट्टे का उपयोग सरकारी उपक्रम, सहकारी बैंक, वाणिज्यिक बैंक या किसी अन्य वित्तीय संस्था के पास बंधक के रूप में नहीं हो सकेगा। जिन लोगों के पास जमा किए गए शुल्क की मूल रसीद है, उनका उतना शुल्क जमा माना जावे। उक्त समस्त 134 निगरानियों में विषयवस्तु एवं कानूनी बिन्दु एक ही होने से संयुक्त रूप से निर्णय पारित करने निर्णय लिया गया। अतः मुकदमा संख्या 01/2020 में निर्णय की मूल प्रति रखी जावे एवं अन्य समस्त सत्य प्रति रखी जावे।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।


(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर, सिरोही

